

सेवा में,

माननीय प्राचार्य महोदय,
केन्द्रीय विद्यालय नं.1 बजाज नगर, जयपुर।

विषय :- विद्यालय भवन एवं उसके परिसर की सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शौचालय सहित) तथा कचरे का निस्तारण विद्यालय परिसर में बने कचरा पात्रों में करने के लिये लिए निविदा प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में प्रार्थना है कि फर्म द्वारा विद्यालय भवन शौचालयों सहित एवं परिसर की सफाई व्यवस्था के कार्य के लिए विद्यालय द्वारा निर्धारित निम्न सहित सभी शर्तों को मानते हुए सफाई कार्यों की आपूर्ति करने के लिये आवेदन प्रस्तुत है-

1. फर्म प्रपत्र 3 (राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संसधान 1958) का धारक है जिसकी संख्या (प्र-पत्र Annexure-1 में संलग्न है) है।
2. जी.एस.टी. संख्या की प्रतिलिपि Annexure-2 में संलग्न है।
3. पेन संख्या की प्रतिलिपि Annexure-3 में संलग्न है।
4. EPF संख्या की प्रतिलिपि Annexure-4 में संलग्न है।
5. ESI संख्या की प्रतिलिपि Annexure-5 में संलग्न है।
- 6- निविदा के साथ प्रस्तुत (Earnest Money) के रूप में रूपए 10,000 /- का डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चेक जो "प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1, बजाज नगर जयपुर के पक्ष में जयपुर शाखा पर देय है संलग्न है।
7. फर्म के पक्ष में निविदा खुलने पर सुरक्षा निधि के रूप में फर्म द्वारा रु. 100000 /- (रूपए एक लाख मात्र) Earnest Money के अतिरिक्त फर्म द्वारा विद्यालय में जमा करवाए जायेंगे अर्थात् जिस फर्म के साथ सफाई व्यवस्था का अनुबंध होता है उसकी ओर से सुरक्षा निधि के रूप में विद्यालय में कुल रु 110000/- (रूपय एक लाख दस हजार मात्र) 31.01-2022 तक जमा रहेंगे। फर्म द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का किसी भी तरह से खंडन/उल्लंघन करने पर अथवा सफाई व्यवस्था ठीक नहीं रहने पर सुरक्षा निधि की सम्पूर्ण राशि :-110,000/- जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म का अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। इस शर्त को समझते हुए तथा स्वीकार करते हुए फर्म ने सफाई अनुबंध हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।
8. फर्म द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है कि फर्म केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर में से जो भी अधिक होगी, फर्म को 26 दिन का भुगतान किया जायेगा उस दर से सम्पूर्ण समयावधि (01.12.2020 से 30.11.2021) के लिए मेरी फर्म कार्मिकों को भुगतान करेगी। फर्म श्रम विभाग के सभी दायित्वों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी। किसी भी प्रकार की कमी के लिये तथा सभी दायित्वों की अनुपालना करने के लिये फर्म तथा उसका मालिक व्यक्तिगत रूप से कानूनन उत्तरदायी रहेंगे। अनुबंध अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि होने पर विद्यालय द्वारा फर्म को बढ़ी हुई दर से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।

- 9- सफाई कार्य की दरे प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से विद्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ भरकर दी गयी है। फर्म ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि विद्यालय द्वारा फर्म की कोई भी नई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. उपर्युक्त कार्य के लिए निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विद्यालय को अमानत राशि (Earnest Money) जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. विद्यालय द्वारा बिल की राशि में से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार टी.डी.एस. एवं अन्य टैक्स काटकर भुगतान किया जायेगा।
- 12 EPF एवं ESI की राशि कार्मिक के खाते में प्रतिमाह जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा उसकी रसीद व EPF पास बुक विद्यालय को प्रतिमाह प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक कार्मिक का EPF एवं ESI खाता संख्या पूर्ण रिकॉर्ड सहित विद्यालय में जमा करवा दिया जायेगा। फर्म ने यह समझ लिया है कि विद्यालय द्वारा FORMAT OF BID के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दरे अंतिम की जायेगी।
- 13 फर्म द्वारा नियुक्त किये गये सभी कार्मिकों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन फर्म द्वारा करवाकर विद्यालय में नियुक्ति के 10 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।
- 14 फर्म द्वारा नियुक्त किये गए सभी कार्मिकों का चरित्र एवं व्यवहार विद्यालय की गरिमा के अनुरूप रहेगा।
- 15 सफाई कार्य के दौरान प्रत्येक कार्मिक का आई.डी. कार्ड साथ में रहेगा।
- 16 सफाई कार्य पर नियुक्त किया जाने वाला कोई भी कार्मिक 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगा।
- 17 प्रत्येक सफाई कार्मिक को सप्ताह में एक दिन का आराम (Rest) दिया जायेगा। परन्तु विद्यालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान वास्तविक कार्य दिवसों का ही किया जायेगा। कार्मिक को रैस्ट देने पर उसके स्थान पर दूसरा सफाई कर्मी फर्म को विद्यालय में सफाई कार्य के लिये भेजना होगा।
- 18 सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विद्यालय द्वारा ठेका रद्द करने तथा फर्म की जमानत राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 19 विद्यालय पर सेवा कर लागू होने की स्थिति में सेवा कर जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी। फर्म द्वारा सेवा कर जमा करवाने की रसीद प्रस्तुत करने पर विद्यालय की सेवाओं पर भुगतान की गई सेवा कर राशि प्रतिमाह विद्यालय द्वारा फर्म को भुगतान कर दी जायेगी।
- 20 विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का इ.पी.एफ. एवं इ.एस.आई. जमा रसीद की प्रतिलिपि विद्यालय में जमा करवाने पर इ.पी.एफ. एवं इ.एस.आई. का विद्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 21 भारत सरकार के श्रम मंत्रालय सहित अन्य सभी कानूनों की अनुपालना फर्म द्वारा की जाएगी।
- 22 विद्यालय में छूटी के दौरान किसी भी सफाई कार्मिक की किसी भी प्रकार की हानि/ दुर्घटना होने पर विद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा। उसके लिये फर्म अथवा कार्मिक उत्तरदायी रहेंगे।
- 23 फर्म की सफाई कार्य के दौरान विद्यालय में किसी भी प्रकार की हानि या चोरी होने पर, विद्यालय को हुई हानि की राशि का सम्पूर्ण भुगतान फर्म द्वारा विद्यालय को किया जाएगा। इस हानि या चोरी की राशि सुरक्षा निधि एवं बकाया बिलों से समायोजित कर ली जायेगी। हानि या चोरी की राशि सुरक्षा निधि एवं बकाया बिलों की कुल राशि से अधिक होने पर फर्म एवं प्रोपराईटर द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति से हानि की राशि का भुगतान विद्यालय को करना होगा। अतः फर्म एवं प्रोपराईटर द्वारा यह समझ लिया गया है कि सफाई कार्य के अनुबन्ध के दौरान सम्पूर्ण हानि या चोरी की राशि विद्यालय को भुगतान के लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहेगी।
- 24 विद्यालय में प्रतिदिन कम से कम 06 (04 पुरुष एवं 02 महिला) कार्मिक सफाई व्यवस्था के लिये आपूर्त करने होंगे जो प्रतिदिन कम से कम 08 घण्टे कार्य करेंगे। कार्य करने का समय विद्यालय की आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर दिया जायेगा। 08 घण्टे कार्य नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा। विद्यालय की आवश्यकतानुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा सफाई कर्मियों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।

- 25 सफाई का मैटेरियल एवं आवश्यक सामग्री विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- 26 विद्यालय भवन के बरामदों एवं प्रशासनिक भवन की सफाई एवं धुलाई दिन में कम से कम दो बार की जायेगी।
- 27 विद्यालय भवन में सभी कक्षा कक्ष एवं विभाग प्रतिदिन साफ किये जायेंगे। कचरे को विद्यालय परिसर में निर्मित कचरा टैंक में डाल कर प्रतिदिन कचरे को जलाने की जिम्मेवारी फर्म की होगी।
- 28 किसी भी दिन सफाई नहीं होने पर उस दिन का भुगतान फर्म को नहीं किया जायेगा। उस दिन की न्यूनतम मजदूरी प्रोपराईटर द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्मिक को भुगतान किया जायेगा।
- 29 सम्पूर्ण विद्यालय परिसर की सफाई के प्रबन्ध का दायित्व फर्म एवं प्रोपराईटर का होगा। सफाई व्यवस्था उल्लम नहीं होने पर विद्यालय द्वारा सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर टेका रद्द करने का कानूनन हक विद्यालय के पास सुरक्षित है।
- 30 फर्म द्वारा कार्मिकों को भुगतान प्रधानियोक्ता या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष किया जाएगा। कार्मिकों को भुगतान फर्म द्वारा बैंक से किया जाएगा। कार्मिकों के बैंक खाते की पासबुक की प्रतिलिपि प्रतिमाह भुगतान के बाद विद्यालय में प्रस्तुत की जाएगी। फर्म द्वारा कार्मिकों को किये गये भुगतान का प्रमाण-पत्र फर्म द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिकों का बैंक खाता विद्यालय परिसर में स्थित केनरा बैंक की शाखा में फर्म द्वारा खोला जाएगा। कार्मिकों के खाते में रेखांकित बैंक से जमा राशि की प्रविष्टि पास बुक में दर्ज करवाकर पास बुक की फोटोकॉपी अगले माह के बिल के साथ जमा करवानी होगी।
- 31 निविदा की वैधता दिनांक 30.11.2021 तक रहेगी। फर्म द्वारा दी जा रही सेवाओं से सन्तुष्ट होने की स्थिति में समयावधि दोनों पक्षों की सहमति से एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकती है।
- 32 टेलैक्स/प्रतिकृति निविदा स्वीकृत नहीं होगी तथा प्रत्येक निविदा दाता की केवल एक ही निविदा स्वीकार की जायेगी।
- 33 मुहरबंद निविदाएं दिनांक 02.11.2020 से 20.11.2020 तक (दिनांक 20.11.2020 को दोपहर 01:00 बजे तक) विद्यालय कार्यालय में केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 20.11.2020 को दोपहर 02:00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं एवं विद्यालय समिति के सगक्ष प्राचार्य कक्ष में खोली जायेगी।
- 34 निविदाएँ केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकृत की जाएँगी/व्यक्तिशः निविदाएँ स्वीकृत नहीं होंगी।
- 35 निविदा कर्ता प्रत्येक कार्य (सेवाओं) के लिए अलग-अलग आवेदन करेगा।
- 36 निविदाकर्ता को निविदा की शर्तें एवं अन्य दस्तावेज अलग से बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे तथा फार्मेट ऑफ बिड के साथ अमानत राशि व निविदा शुल्क रुपये 200 की जमा पर्ची संलग्न कर अलग बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी तथा दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील कर लिफाफे के ऊपर जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की है अंकित करना होगा।
- 37 निविदा शुल्क रुपये 200 प्रति कार्य के लिए विद्यालय में विद्यालय विकास निधि में के.वि.कमांक -1 जयपुर के नाम खाता संख्या 369202010070408 आई एफ एस सी कोड UBIN0536920 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जयपुर में जमा कराने के पश्चात जमा रसीद निविदा प्रपत्र के फार्मेट ऑफ बिड के साथ संलग्न करनी होगी। जो निविदा कर्ता निविदा शुल्क जमा नहीं करायेगा उसकी निविदा स्वीकार नहीं होगी और निविदा निरस्त करने का अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 38 उपरोक्त सहित अन्य सभी शर्तें केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार मान्य होंगी।
- 39 उपर्युक्त सभी शर्तें प्रोपराईटर एवं फर्म द्वारा व्यक्तिगत रूप से समझ ली गई है एवं मान्य है। फर्म द्वारा निर्धारित प्र-पत्र (FORMAT OF BID) में प्रस्तुत की गई दरे सभी शर्तें मान्य होने के बाद ही प्रस्तुत की गई है।

40. FORMAT OF BID

S. No.	Category of Manpower	Remuneration per day per Person (in Rs.)	EPF Rate (in Rs.) per day per person as prescribed by EPF Department as on date	ESI Rate (in Rs.) per day per person as prescribed by EPF Department as on date	Service Charges/Charges of Uniforms/Bonus etc. including overhead profit (in Rs.) per day per person	Total (Col. No. 3&5+6) (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
1	सफाई कर्मचारी (House Keeping Services/Conservancy)					

नोट :-

1. सेवा शुल्क की दर बिड के कॉलम संख्या 03 पर निर्धारित की जायेगी। जो कि राशि है।
2. सेवा कर की राशि FORMAT OF BID में सम्मिलित नहीं है। लागू होने की स्थिति में विद्यालय अलग से भुगतान करेगा।
3. बिड फॉर्मेट के कॉलम संख्या 06 में सेवा शुल्क रुपये 1.00 से कम भरने पर निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
- 4- अनुबन्ध की अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ने पर फर्म द्वारा कार्मिकों को बढी हुई दर पर भुगतान किया जायेगा। विद्यालय द्वारा भी फर्म को बढी हुई दर पर ही भुगतान किया जायेगा।
- 5- विद्यालय द्वारा FORMAT OF BID के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दरें अंतिम की जायेगी।
- 6- कॉलम संख्या-7 में 02 या 02 से अधिक फर्मों की दरें समान रहने पर किसी भी एक फर्म को अनुबन्ध देने का अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। जिसकी मुझ प्रोपराईटर को कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मेरा कानूनी अधिकार रहेगा। मैं तथा मेरी फर्म निविदा प्रपत्र में उपर्युक्त उल्लेखित सभी नियम एवं शर्तों को स्वीकार करते हुए अनुबन्धित हूँ। जिसके लिए निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि (Earnest Money) के रूप में रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) की राशि का बैंकर्स चेक/डी.डी. सं. दिनोंक संलग्न है।

संलग्न दस्तावेजों का विवरण :-

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-

भवदीय,
 प्रोपराईटर के हस्ताक्षर
 प्रोपराईटर का नाम
 फर्म का नाम
 फर्म का पता
 फोन नं.
 TIN No./GST No
 PAN No.
 फर्म की मोहर